



LSTV

लोक सभा

Times of
India

THE HINDU

ध्येय IAS
most trusted since 2013

Daily News Scan
(DNS)

RStv
राज्या सभा

The Indian
EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

ET

जागरण

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 (Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019)

हाल ही में संसद ने ट्रांसजेंडर समुदाय से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण बिल को पारित कर दिया है

हमारे आज के DNS में हम जानेंगे कि इस विधेयक के अन्तर्गत क्या प्रावधान किये गये है।

- हाल ही में राज्यसभा ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा विधेयक-2019) को पारित कर दिया। गौरतलब है कि लोकसभा ने इस बिल को पिछले मानसून सत्र में ही पारित कर दिया था जिसके बाद से यह राज्यसभा में लंबित था।
- इस विधेयक में ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाने व उनके सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया था।
- इस विधेयक के अनुसार ट्रांसजेंडर की परिभाषा कुछ इस प्रकार है-वह व्यक्ति जिसके जेंडर उसके जन्म के समय पहचान किये गये जेंडर से भिन्न हैं इस परिभाषा में ट्रांसमेन और ट्रांसविमेन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को शामिल किया गया है।
- यह विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आदि पर किये गये दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध लगाता है। साथ ही उन्हें अवसर की समानता, तथा आम लोगों की तरह जीने की सारी स्वतंत्रतायें उपलब्ध कराता है।
- यह विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को निवास का अधिकार यानि Right of residence भी प्रदान करता है।
- इस विधेयक के अनुसार कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान रोजगार, भर्ती व पदोन्नति के सम्बन्ध में ट्रांसजेंडरों के साथ भेद भाव नहीं कर सकता यानि Right to employment.
- इस विधेयक के अनुसार कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिले के जिलाधिकारी के पास से अपनी पहचान पत्र बनवा सकता है जिसमें उसके जेंडर को ट्रांसजेंडर से निरूपित किया जायेगा।
- इस बिल में ट्रांसजेंडरों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करने पर सजा का प्रावधान भी किया गया है।
- इस दुर्व्यवहारों में उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग उनके जेंडर के खिलाफ टिप्पणी, उन्हें सार्वजनिक स्थानों को प्रयोग करने से रोकना, उन्हें घर व सम्पत्ति से बेदखल करना व उनका शारीरिक शोषण करना इत्यादि शामिल है।
- गौरतलब है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समस्या व सुझाव के लिये National Council for transgender Person यानि NCT भी बनाई गई है जो कि Social Justice and Empowerment ministry यानि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करेगी
- साथ ही यह कमेटी केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में समय-2 पर सुझाव भी पेश करेगी
- इस बिल के तहत यदि किसी व्यक्ति ने सर्जरी या किसी अन्य विधि से अपना लिंग परिवर्तन कराया है तो Revised Indentity certificate यानि संशोधित पहचान प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

Dhyeya IAS Now on Telegram

We're Now on Telegram



Join Dhyeya IAS Telegram

Channel from the link given below

["https://t.me/dhyeya_ias_study_material"](https://t.me/dhyeya_ias_study_material)

You can also join Telegram Channel through
Search on Telegram

"Dhyeya IAS Study Material"

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in




Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter


(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्सक्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारे ईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें** अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से **Subscribe** करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |



ध्येय IAS[®]
most trusted since 2003



Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter

Step by Step guidance for Subscription:

- **1st Step:** Fill Your Email address in form below. you will get a confirmation email within 2 min.
- **2nd Step:** Verify your email by clicking on the link in the email. (Check Inbox and Spam folders)
- **3rd Step:** Done! you will receive alerts & Daily Free Study Material regularly on your email.

Enter email address

Subscribe

Join Dhyeya IAS Whatsapp Group by Sending "Hi Dhyeya IAS" Message on 9205336039.



Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400